

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या- 17 26 / XXV-12(11) / 2021

देहरादून : दिनांक // अक्टूबर, 2021

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
5/860 विराम खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226010
Email- srivastava686@gmail.com

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-4/RTI/A/94/2021/905 दिनांक 30.9.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके ऑनलाईन अनुरोध पत्र रजिस्ट्रेशन नं०-17711 दिनांक 17.5.2021 के सम्बन्ध में की गयी अपील के निस्तारण में आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के कार्यालय के अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ मांगी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

आप द्वारा की गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या- पु०मु०/लो०सू०-338/2021 दिनांक 07-10-2021 (एक प्रति) में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिसकी प्रति मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा भी अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्न प्रकार है:-


श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, पता- विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 4-सुभाष रोड़, देहरादून-248001, है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पु०संख्या 17 26 / XXV-12(11) / 2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- 1-केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ अनु सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली आदेश संख्या-4/RTI/A/94/2021/905 दिनांक 30.9.2021को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

अनुरोधकर्ता को सूचना देने का प्रपत्र

मुख्यालय,

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तराखण्ड

12-सुभाष रोड, देहरादून।

(दूरभाष सं० 0135-2712685, फैक्स नं०-2712080, E.mail-dgc-police-ua@nic.in)

पत्रांक: पु०मु०/लो०सू०-338/2021

दिनांक: अक्टूबर 07, 2021

सेवा में,

Shri Manoj Kumar,

Address- 5/860, Vikram Khand,

Gomtinagar, Lucknow.

(Mobile-798557630)

(Reg. Post)

कृपया लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अंतरित होकर प्राप्त आप अपने सूचना अनुरोध पत्र Reg. No-17711, दिनांक: 17/05/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस मुख्यालय में दिनांक: 07/09/2021 को सूचना अनुरोध पत्र में आवेदित सूचनायें आपको उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है।

आपके उक्त सूचना अनुरोध पत्र में आवेदित पुलिस मुख्यालय सम्बन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) एवं पुलिस अधीक्षक/लेखा, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त सूचनानुसार विन्दुवार अवगत कराना है कि:-

आपके उक्त सूचना अनुरोध पत्र में आवेदित पुलिस मुख्यालय सम्बन्धी सूचनायें के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त विन्दुवार सूचनायें विन्दुवार निम्नवत् है:-

विन्दु संख्या:01- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधान सभा निर्वाचन-2017 के दौरान उत्तरप्रदेश के होमगाइर्स विभाग को उत्तराखण्ड निर्वाचन ड्यूटी में अवस्थापन पर धनराशि रू० 60,45,000-00 का भुगतान किया गया है।

विन्दु संख्या:02- अवगत करना है कि रू० 6,21,530-00 शासन को समर्पित किया गया है।

विन्दु संख्या:03- अवगत करना है कि वांछित सूचना शून्य है।

विन्दु संख्या:04- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधान सभा निर्वाचन-2019 के दौरान उत्तरप्रदेश के होमगाइर्स विभाग को उत्तराखण्ड निर्वाचन ड्यूटी में अवस्थापन पर धनराशि रू० 5,36,04,950-00 का भुगतान किया गया है।

विन्दु संख्या:05- अवगत करना है कि रू० 1,34,534-00 शासन को समर्पित किया गया है।

विन्दु संख्या:06 से 15 तक- अवगत करना है कि वांछित सूचना/अभिलेख पुलिस मुख्यालय में धारित/संचित न होने के कारण शून्य में प्रेषित है।

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हो, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक (प्रो०/मार्ड०), पुलिस मुख्यालय, 12-सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष अधिनियमानुसार प्रथम अपील पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न: यथोपरि।



(शाहजहाँ जावेद खान)

लोक सूचना अधिकारी/
अपर पुलिस अधीक्षक(कार्मिक),
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1- लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, पता: विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष रोड, देहरादून को पत्र संख्या: 1480/XXV-12(11)/2018, दिनांक: 14/09/2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यालय
पत्रांक: डीजी-छ-आकिक/2021
सेवा

पुलिस

महानिदेशक

उत्तराखण्ड

देहरादून।

दिनांक: 27-09-2021

लोक सूचना अधिकारी,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।

महोदय,

कृपया, आपके पत्र संख्या: पु0मु0/लो0सू0-338/2021 दि० 16-09-2021 के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना निम्नप्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

- बिन्दु संख्या:-1 उत्तराखण्ड विधान सभा निर्वाचन-2017 के दौरान उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के उत्तराखण्ड निर्वाचन ड्यूटी में अवस्थापन पर धनराशि रू० 60,45,000- का भुगतान उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग को किया गया है।
- बिन्दु संख्या:-2 सूचना शून्य
- बिन्दु संख्या:-3 सूचना शून्य
- बिन्दु संख्या:-4 लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के उत्तराखण्ड निर्वाचन ड्यूटी में अवस्थापन पर धनराशि रू० 5,36,04,950- का भुगतान उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग को किया गया है।
- बिन्दु संख्या:-5 सूचना शून्य
- बिन्दु संख्या:-6 सूचना शून्य
- अन्य बिन्दु उत्तराखण्ड पुलिस से सम्बन्धित नहीं हैं।

3
27/9/21

पुलिस उपाधीक्षक/लेखा,
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।



पुकेल- 6/10/20
R

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.4/RTI/A/94/2021

905.

Dated: 30.09.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील

अपीलकर्ता का नाम -श्री मनोज कुमार
संबंधित जन सूचना अधिकारी का नाम -श्री राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलार्थी, श्री मनोज कुमार, ने अपने दिनांक 17.05.2021 का आर0टी0आई ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नं0 17711, जो आयोग में आर.टी.आई पोर्टल द्वारा प्राप्त हुआ था के माध्यम से उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव, 2017, उत्तराखण्ड लोकसभा चुनाव, 2019 एवं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे होमगार्ड से संबंधित सूचना चाही थी। उक्त आवेदन सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑनलाइन माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3)के अंतर्गत अंतरित कर दिया गया था।

अपील

अब अपीलार्थी ने अपनी प्रथम अपील दिनांक 05.09.2021 जो आयोग में दिनांक 07.09.2021 को प्राप्त हुई है, में कहा है कि उनके आवेदन की कुछ सूचनाएं उत्तराखण्ड से सम्बन्धित थी और मद सं0 6 से 15 तक दिल्ली से सम्बन्धित थी लेकिन आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को अंतरित किया गया। उन्हें न तो उत्तराखण्ड से कोई सूचना मिली और न ही केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अपीलार्थी ने बिना किसी शुल्क के जानकारी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी :

श्री मनोज कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत दिनांक 17.05.2021 के आवेदन की प्रति केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (राहुल शर्मा, प्रधान सचिव) के ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त हुई थी। आवेदककर्ता ने अपने पत्र में उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 2017, उत्तराखण्ड से लोकसभा चुनाव, 2019 एवं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे होमगार्ड से संबंधित सूचना मांगी थी।

2. आवेदककर्ता द्वारा मांगी गई सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं दिल्ली से संबंधित थी। जिसे केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रधान सचिव ने ऑनलाईन पोर्टल द्वारा दिनांक 08.06.2021 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत इस अनुरोध के साथ अन्तरित कर दिया था, कि उक्त आवेदन में मांगी गई सूचना का जवाब सीधे आवेदक

निर्वाचन आयोग से पृथक लोकप्राधिकारी है तथा उनकी अपील पर आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड का कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली का कार्यालय आर0टी0आई0 के उद्देश्य के लिए अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरण हैं ।

तथापि अपीलार्थी की अपील की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड का कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली का कार्यालय को उचित कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस प्रयोजनार्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध कराएं । अधिक जानकारी के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी का हवाला दिया जाता है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में आर0टी0आई0 आवेदनों के निस्तारण में सावधानी बरतें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार ही आर0टी0आई0 आवेदनों का निस्तारण करें ।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

के0एन0 भार)

वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पंजीकृत डाक द्वारा

- (1) श्री मनोज कुमार, 5/860 विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 को उनकी अपील दिनांक 05.09.2021 के संदर्भ में ।
- (2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड को उक्त अपील की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है और यह कहा जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध कराएं एवं मांगी गई सूचना सीधे अपीलार्थी को दें ।
- (3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को उक्त अपील की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है और यह कहा जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध कराएं एवं मांगी गई सूचना सीधे अपीलार्थी को दें ।
- (4) श्री राहुल शर्मा, प्रधान सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को दिए गए निर्देशों के संबंध में प्रेषित ।
- (5) गार्ड फाइल ।

RTI / First Appeal

569/RTI/2021
08/09/2021

Sr. Pr. Singh (KATB)

To

The first appellate authority
Election commission of India
Nirvachan sadan
New delhi



Sub: first appeal for getting the information by RTI no 17711

Sir,

I would like to inform you that under right to information act 2005 I have asked some information through RTI application no (registration no 17711) and I have made the payment of fees too, but still the information have not been received. Some of the required information was related to Uttrakhand state and some was related to Delhi (point no 06 to 15) union territory Delhi but my application have been forwarded to chief electoral officer Uttrakhand state.

Still I didn't got any information neither from Uttrakhand nor from UT Delhi. kindly take in notice and provide the Information without any fees. thanking you

Date 05/09/2021

Regards

Manoj Kumar

Manoj Kumar

7985576530

5/860 Viram Khand

Gomtinagar Lucknow

Lucknow -226010

Uttar Pradesh

Attachment- application no17711 and reply received.



SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

RTI No. 17711

Dated: 17-05-2021

To,
Manoj kumar
5/860 viram khand , Gomtinagar lucknow

Subject:- Right to Information Act, 2005-Regarding.

Dear Sir/Madam,
You are informed that the requisite information is given below.

RTI CPIO Response:

Your RTI application (Registration No. 17711) filed on the online RTI portal of the Election Commission of India, has been transferred to the **Chief Electoral Officer, Uttarakhand** (who is the competent authority to take action in such matters and a separate Public Authority under RTI Act, 2005) the Public Information Officer (PIO) of u/s 6(3) of the RTI Act, 2005.

You are advised to approach the above public authority for further information regarding the matter and for any grievance regarding non-receipt of information from above cited transferee public authority.

For any other grievance related to transfer to your RTI, the details of appellate authority in the Election Commission of India is as follows-

The details of First Appellate Authority are as under :-

Sh. K N Bhar.
Senior Principal Secretary & FAA.
Election Commission of India.
Nirvachan Sadan.
New Delhi - 110001
Email: knbhar@eci.gov.in

Yours faithfully,
(Rahul Sharma)

Post By Manoj Kumar At 17/05/2021 01:07:48 AM

RTI Asked Questions

Dear sir/ madam kindly provide following information –

- 1- During Uttarakhand assembly election 2017 held in Uttarakhand, some homeguards personnels were deployed from Uttar Pradesh, for which how much money was paid to Uttar Pradesh homeguards department ?-
- 2- Whether the remaining amount has been reconciled / returned to election commission after successful completion of Uttarakhand assembly election 2017 ?
- 3- What is the remaining amount returned head wise ?
- 4- During Lok Sabha general election held in state of Uttarakhand 2019, some homeguards personnels were deployed from Uttar Pradesh, for which how much money was paid to Uttar Pradesh homeguards department ?
- 5- Whether the remaining amount has been reconciled / returned to election commission after successful completion of general election held in state of Uttarakhand 2019 ?
- 6- What is the remaining amount returned head wise ?
- 7- During Delhi assembly election 2020 held in Delhi, some homeguards personnels were deployed from Uttar Pradesh, for which how much money was paid to Uttar Pradesh homeguards department?
- 8- Whether the remaining amount has been reconciled / returned to election commission after successful completion of Delhi assembly election 2020 ?
- 9- What is the remaining amount returned head wise ?
- 10- If in case no reconciliation has been made from homeguards department who is held responsible for this delay ?
- 11- If Public money is kept unused/ idle by a department after several financial years has been passed, is it termed as temporary embasement ?
- 12- Whether there is any provision for punishment for temporary embasement under general financial rule ? What is that punishment ?
- 13- Whether any department can keep such huge amount in form of cash, in its cash chest ?
- 14- As per financial rule What's should be the penal interest rate charged on this unused/ idle cash kept in cash chest / account .
- 15- From whom this penal interest on idle cash should be charged ?

Thanking you Regards

Post By Rahul Sharma At 08/06/2021 12:58:57 PM Document Uploads: NIL

M ✓

CPIO Officer Reply

Your RTI application (Registration No. 17711) filed on the online RTI portal of the Election Commission of India, has been transferred to the Chief Electoral Officer, Uttarakhand (who is the competent authority to take action in such matters and a separate Public Authority under RTI Act, 2005) the Public Information Officer (PIO) of u/s 6(3) of the RTI Act, 2005. You are advised to approach the above public authority for further information regarding the matter and for any grievance regarding non-receipt of information from above cited transferee public authority. For any other grievance related to transfer to your RTI, the details of appellate authority in the Election Commission of India is as follows-

APPLICANT DETAILS

RTI Registration No: 17711

Date & Time Of RTI Filing: 17-05-2021 01:07:48

Amount Paid: Rs. 10

Mode Of Info: Online

CPIO OFFICER DETAIL

Name Of CPIO: Rahul Sharma

Status Of RTI: Transferred

PERSONAL DETAILS OF RTI APPLICANT

Name: Manoj Kumar

Email ID: Srivastava686@Gmail.Com

Mobile: +91 7985576530

State: Uttar Pradesh

Please do not file RTI applicatio

